फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर जिला जालोर

बलवंताराम पु. उकाजी रेबारी नि० भवरानी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

किस्म मुकद्दमा :- U/s 88 R.T. Act मु. नं.: 47/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11-6-18	वादी द्वारा दावा बाबत नाम की [illegible] लिखकर प्रतिवादी पेश किया गया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये जवाब तलब होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 11-7-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर (जिला-जालोर)	
11-7-18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकैन हाजिर। श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुकाम पर उपस्थित नहीं है (?) अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 5-9-18 को पेश हो।	
05/09/18	पुकार मय फरीकैन हाजिर। प्रतिवादी की तरफ से P/f (?) तामील वादी वकील पेश करे। पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 18/09/18 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-10-19	पत्रावली आज पेश हुई वादी साक्ष्य हेतु को समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते दिनांक 5-11-19 को पेश हो/ Sd/	
5-11-19	पत्रावली आज पेश हुई/ वादी साक्ष्य हेतु समय चाहा गया जो अन्तिम समय दिया। जाकर पत्रावली वास्ते दिनांक 13-12-19 को पेश हो/ Sd/	
18-12-19	पत्रावली आज वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर पेश हुई/ वादी द्वारा साक्ष्य मय शपथ पत्र पेश किया जो पत्रावली शामिल हो/ साथ ही वादी द्वारा बयान गवाह समक्ष हैं जो पत्रावली शामिल हो। प्रतिवादी जिरह नहीं करना चाहते हैं/ उनका अभाव ही साक्ष्य के रूप में मान्य हो। पत्रावली वास्ते दिनांक 13-12-19 को पेश हो/ Sd/	
13-12-19	पत्रावली आज पेश हुई, निर्णय पृथक से तैयार कर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो/ Sd/	

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी **प्रशांत शर्मा आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या 47 / 2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बलवन्ताराम पुत्र उकाजी		राजस्थान सरकार जरिये
जाति रेबारी, निवासी भवरानी, तहसील		तहसीलदार आहोर
आहोर, जिला जालोर (राज.)		

दावा बाबत् नाम की घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति – श्री गोपाल जीनगर, वकील वादी
राज पैरोकार, प्रतिवादी नायब तहसीलदार

निर्णय

दिनांक – 13-12-19

वादी द्वारा दावा बाबत् नाम की घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया गया है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा भवरानी चक नं. 2 में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2630 का रकबा 2.31 हैक्टर एवं मौजा भवरानी चक नं. 1 में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 888, 889, 890, 890 / 3337 का कुल रकबा 3.10 हैक्टर आराजी में वादी का नाम बलाराम पुत्र ऊकाराम, कौम रेबारी साकिन देह खातेदार के नाम से शामलाती दर्ज है। वादी ने केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में अपना नाम व पिता का नाम त्रुटिवंश बलाराम पुत्र ऊकाराम के स्थान पर वादी का सहीं एवं वास्तविक व निजी दस्तोवजात् में दर्ज नाम बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतू दावा पेश किया है।

यह है कि वर्णित आराजी कृषि भूमि में वादी का नाम बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी के स्थान पर त्रुटिवश बलाराम पुत्र ऊकाराम दर्ज हो गया है, इस कारण राजस्व रेकर्ड में बलाराम उर्फ ऊकाराम के स्थान पर बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी के नाम की घोषणा कराने की डिक्री प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है।

यह है कि वादी का सहीं एवं वास्तविक नाम बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी ही है तथा आम जन की बोल चाल भाषा में इस नाम से ही पुकारा, जाना व पहचाना जाता है तथा वादी के निजी दस्तावेजात् यानि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, शपथ पत्र तस्दीकसुदा ईत्यादि में बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी दर्ज है, इन तमाम दस्तावेजात् के आधार पर यह स्पष्ट होता हैं कि बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवंश बलाराम पुत्र ऊकाराम दर्ज हो गया है तथा बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी व बलाराम पुत्र ऊकाराम नाम का एक ही व्यक्ति है, इन नामों का अलग–अलग व्यक्ति नहीं है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) ... जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा दावा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन के प्रतिवादी राज पैरोकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत करने पर जवाब को रिकॉर्ड पर लिया गया एवं साक्ष्य वादी हेतू बयान कलमबद्ध कर बहस हेतू पत्रावली तबल किया गया तथा बहस के दौरान वादी वकील द्वारा बताया गया कि राजस्व रेकर्ड में बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी के स्थान पर बलाराम पुत्र ऊकाराम दर्ज हो गया है, वादी का सहीं एवं वास्तविक नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का भी निवेदन किया गया।

हमने पत्रावलीं का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन किया, जिसके अनुसार बलाराम पुत्र ऊकाराम के स्थान पर सहीं एवं वास्तविक नाम बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी दर्ज करवाने हेतू वादी का वाद स्वीकार किया गया है।

– आदेश –

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा भवरानी चक नं. 2 की सरहद में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2630 रकबा 2.31 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 888, 889, 890, 890/3337 का कुल रकबा 0.01 हैक्टर आराजी कृषि भूमि में खातेदार वादी व वादी के पिता का नाम बलाराम पुत्र ऊकाराम के स्थान पर सहीं एवं वास्तविक नाम बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

प्रशांत शर्मा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, आहोर
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत....................**सहायक कलेक्टर**....................मुकाम.......... **आहोर, जिला–जालोर**...........

बइजलास ....**श्री प्रशांत शर्मा आर.ए.एस**..

.... **बलवन्ताराम** ....बनाम..................................**सरकार** ....

दावा बाबत्...............**बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट**...............

मुकदमा नम्बर..............................**47**.......................सन्.................**2018**..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू **पक्षकारान्** व हाजरी **श्री गोपाल जीनगर वकील वादीगण** मिनजानिब मुद्दई व **पैरोकार सरकार** मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा भवरानी चक नं. 2 की सरहद में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2630 रकबा 2.31 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 888, 889, 890, 890/3337 का कुल रकबा 0.01 हैक्टर आराजी कृषि भूमि में खातेदार वादी व वादी के पिता का नाम बलाराम पुत्र ऊकाराम के स्थान पर सहीं एवं वास्तविक नाम बलवन्ताराम पुत्र उकाजी देवासी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

लीज .... मुबलिग..................................बाबत..
खर्चा इस मुकदमें के सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/12/2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, आहोर
जिला–जालोर (राज.)

मुहर

मुद्दई	रूपया पै.	मुद्दायलाह	रूपया पै
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह वकील महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह वकील महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मीजान		मीजान	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner